

दायर दिनाद

प्राधी

अप्राधी

जिला

तहसील

गाव

मुकदमा :

मुकदमा

पूर्ण कोर

कैदियर

धारा :

नोटि

अंत

प्रथ

सु-

स्

पु

:

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 54/2021 अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2021/64)

अनवान:

1. चांदु खां पुत्र भादर खां जाति कानोर मियासी निवासी महाजन बीकानेर।

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूणकरणसर।

06.11.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट के अनुपस्थित रहने के कारण अपीलांट को इस न्यायालय द्वारा आगामी पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी करने के आदेश दिये। अपीलांट को दिनांक 21.05.2024 को नोटिस जारी कर आगामी तारीख पेशी से पूर्व स्वयं अथवा जरिये विधिक प्रतिनिधि इस न्यायालय में उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया, किन्तु नोटिस दिनांक 21.05.2024 जारी हो जाने के बावजूद आज दिनांक तक कोई उपस्थित नहीं हुआ। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांट उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 06.11.2024 को सुनाया गया।

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

